

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 वन एवं वन्यजीव प्रभाग-उन्नाव  
पत्रांक 4832 /14-1 (गेल इण्डिया) दिनांक, उन्नाव, अप्रैल, 05, 2018

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,  
लखनऊ मण्डल,  
उ0प्र0, लखनऊ।

विषय - गेल इण्डिया लि0 द्वारा प्रस्तावित परियोजना 24"/36" नेचुरल गैस पाइप लाइन झांसी-औरिया-फूलपुर के निर्माण हेतु झांसी, उरई, औरिया, कानपुर नगर, कानपुर देहात, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ एवं इलाहाबाद वन प्रभागों में प्रभावित कुल 2.064771643 हे0 वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक कुल 1536 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ - भारत सरकार की पत्र सं0-8वीं/यू0पी0/09/77/2017/909 दिनांक 16.03.2018 एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ का पत्रांक 2680/11 सी FP/UP/Other/23971/2017, दिनांक 19.03.2018।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा भारत सरकार ने विषयक प्रकरण में 2 बिन्दुओं पर आपत्ति उठायी गयी है। जिराका निराकरण निम्नानुसार प्रेषित है।

क्र0 सं0	आपत्ति	उत्तर
1	2	3
1	प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत FRA 2006 प्रमाण पत्र का प्रारूप/कथन सही नहीं है।	FRA 2006 का संशोधित प्रमाण पत्र 4 प्रतियों में संलग्न कर प्रस्तुत है।
2	राज्य सरकार द्वारा प्रस्ताव के भाग-2 में वृक्षों/पौधों की संख्या में विसंगति का निराकरण किया जाये।	इस वन प्रभाग से सम्बन्धित भाग-2 में वृक्षों/पौधों की संख्या में कोई विसंगति नहीं है।
3	इन वृत्तियों हेतु सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाये। प्रकरण में किसी भी प्रकार के विलम्ब के लिये राज्य सरकार जिम्मेदार होगी।	इस प्रभाग से सम्बन्धित नहीं है।

संलग्नक - उपरोक्तानुसार

भवदीय  
प्रभागीय निदेशक,  
सामाजिक वानिकी वन एवं वन्यजीव विभाग  
उन्नाव

पत्रांक 4832 / समदिनांकित

प्रतिलिपि - मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उनके उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय निदेशक,  
सामाजिक वानिकी वन एवं वन्यजीव विभाग  
उन्नाव

o/c

Government of Uttar Pradesh  
Office of the District Collector  
Unnao

No. 4514/वन विभाग/अन्य प्रमाण

Date 05/4/18


TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of Ministry of Environment and Forest (MoEF), Government of India letter no. 11-09/98-FC (pt) Dated 28<sup>th</sup> October 2014, it is certified that 0.00675 hectare (Unnao – Lalganj road) of protected forest land proposed to be diverted in favour of GAIL (India) Limited (name of user agency) for Jhansi – Auraiya – Phulpur pipeline project at district Unnaoin Uttar Pradesh state.

It is further certified that:

"The above 0.00675 hectare of protected forest land proposed to be diverted does not have any recognized rights of Primitive Tribal Groups (PTG) and the rights of Pre-Agricultural Communities (PAC) are not being affected. The forest land proposed to be diverted has plantation which was notified as "forest" less than 75 years prior to the 13<sup>th</sup> day of December 2005 and is located in villages having no recorded population of Scheduled Tribes, as per the Census-2001 and the Census-2011."

  
Divisional Forest Officer  
Social Forestry Division,  
Unnao   
उन्नाव

  
District Magistrate  
Unnao (U.P.)

